



2026:AHC:25654

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या – 1619 / 2026

सुबोध जोशी

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संजय कुमार मिश्रा, सौरव पांडे, वरिष्ठ अधिवक्ता, विनय शर्मा

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे, जिन्हें श्री संजय मिश्रा और श्री विनय शर्मा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर महाधिवक्ता श्री कार्तिकेय सरण, जिन्हें राज्य विधि अधिकारी श्री तेजस्वी मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया, को सुना गया।
2. रिट-याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे वर्ष 2020 के बैच में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था और उसकी पहली तैनाती 07.01.2022 को पीलीभीत में हुई थी। इसके पश्चात, 07.06.2022 को उसका स्थानांतरण हाथरस कर दिया गया। हालांकि, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव पंचायत राज, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हाथरस से हमीरपुर कर दिया गया है।
3. उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम प्रतिवादी द्वारा पारित आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.01.2026 को जनहित या प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर दिखाया गया है, लेकिन यदि इसके परदे को हटाया जाए, तो यह उभर कर आएगा कि यह स्थानांतरण आदेश दंडात्मक प्रकृति का है।

दलील यह है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 24.11.2025 और 14.01.2026 को अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को शिकायतें की थीं, जो इस स्थानांतरण का मुख्य प्रेरक कारक बनीं। तर्क यह है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण केवल दूसरों को समायोजित करने के लिए किया जा रहा है। रिट याचिका के पैरा 51 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के पिता बीमार हैं और हमीरपुर स्थानांतरण से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पैरा 54 का उल्लेख करते हुए तर्क दिया गया कि प्रदेश के 75 जिलों में से लगभग 50% जिले प्रभारी डीपीआरओ द्वारा चलाए जा रहे हैं और 10 से 12 जिलों में पद रिक्त है, अतः याचिकाकर्ता को एनसीआर क्षेत्र में भी तैनात किए जाने पर विचार किया जा सकता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. दूसरी ओर, विद्वान एएजी, श्री के. सरण ने तर्क दिया कि रिट-याचिकाकर्ता एक स्थानान्तरणीय पद पर कार्यरत है और स्थानान्तरण आदेश की प्रकृति यह दर्शाती है कि यह दंडात्मक नहीं है। केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 24.11.2025 और 14.01.2026 को शिकायतें दर्ज की थीं, इसे स्थानान्तरण आदेश को दंडात्मक मानने का आधार नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने सुझाव दिया कि रिट-याचिकाकर्ता को पहले स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने दिया जाए, उसके पश्चात वह एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अपनी पसंद के स्थान पर स्थानान्तरण का अनुरोध कर सकती हैं।

6. इस सुझाव पर रिट-याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

7. न्यायालय के समक्ष दिए गए तर्कों पर विचार करने और अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात, न्यायालय की यह राय है कि आक्षेपित आदेश यह नहीं दर्शाता कि यह दंडात्मक प्रकृति का है। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों के बयानों के आलोक में, रिट याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि रिट-याचिकाकर्ता आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर स्थानान्तरित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करें। उक्त जॉइनिंग के पश्चात, याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपनी पसंद के स्थान पर स्थानान्तरण हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत करें।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

5 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"